न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 187/2021 **दायर दिनांकः 12.11..2021**

उनवान

1. अनिकेशसिंह उम्र 14 वर्ष नाबालिग पुत्र अमरसिंह जर्ये वली पिता अमरसिंह जाति राजपूत निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. सूर्यप्रतापसिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा

निर्णय

दिनाकः 07/11/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू में खाता संख्या 277 की ख0नं0 100, 103, 109, 73/1145, 81, 83 कुल 6 किता की 7.77 है0 आराजी स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 सूर्यप्रतापसिंह के नाम खाते दर्ज है। जमाबन्दी साथ में संलग्न है। वादी प्रतिवादी क्रम 1 का छोटा भाई है जो नाबालिग है। जर्ये वली पिता के द्वारा यह दावा पेश किया गया है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता अमरसिंह ने खरीदा था और उक्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज करवा दिया था। उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता अमरसिंह ने वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 पारिवारिक विभाजन कर रखा है जिसमें 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है। मगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। भविष्य में विवाद उत्पन्न न हो इसलिए वादी परिवार की सहमति से उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अपने खाते दर्ज करवाना चाहता है। बिना

सहायता न्यायलय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्सा वादी के खाते दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का 1/2 हिस्सा वादी के खाते दर्ज नहीं किया गया तो वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। वाद कारण दिनांक 10.09.2021 को वादी को अपने हिस्से की आराजी अपने खाते दर्ज नहीं होने से सरकारी लाभ से वंचित होने के कारण माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने की वजह से उक्त वाद में श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि– वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है।

विशेष कथन

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर दिया जावे इसमें प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर दिया जावे इसमें प्रतिवादी क्रम 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी क्रम 2 को अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में आज तारीख पेशी नियत है जिसमें आज हम दोनों पक्षों ने लॉक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। ग्राम एवं माल काचरा में खाता संख्या 277 की ख0नं0 100, 103, 109, 73/1195, 81, 83 कुल किता 6 की 7.77 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 सूर्य प्रताप सिंह के खाते दर्ज है जो पिता अमरसिंह ने खाते दर्ज करवाई थी जिसमें मौके पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 व 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है एवं प्रति0 क्रम 1 के खाते दर्ज है। भविष्य में विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए उक्त खाता की भूमि 7.77 है0 भूमि में से 1/2 हिस्से पर वादी के खाते दर्ज कर दी जावे जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ने राजीनामा से स्वीकार कर लिया है। आज उक्त राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हो गया है प्रति0 क्रम 1 के खाते दर्ज कर दिया जावे। वादी नाबालिग है इसलिये जर्ये पिता राजीनाम कर रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खाता संख्या 277 की 7.77 है0 भूमि में से मुताबिक राजीनामा 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदारी को दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। एवं मुताबिक राजीनामा प्रति0 क्रम 2 को खाता संख्या 277 के रकबा 7.77 है के हिस्सा 1/2 को वादी के खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

4. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री सुरेश कुमार शर्मा एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री गौरव हाडा एड0 द्वारा की गई। राजीनामा अनुसार ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 277 का ख0नं0 100 रकबा 2.87 है0, ख0नं0 103 का रकबा 2.60 है0, खं नं. 109 का रकबा 1.83 है0, ख. न. 73/1145 का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 81 का

रकबा 0.06 है0, ख0नं0 83 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि प्रति0 क्रम 1 सूर्यप्रतापसिंह पुत्र अमरसिंह के खाते दर्ज है, जिसे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता अमरसिंह ने खरीद कर प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज करवा दिया था परन्तु उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पारिवारिक विभाजन कर रखा है जिसमें 1/2 हिस्से पर वादी काबिज काश्त है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है।

5. अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रति0 क्रम 1 की बहस सुनी। अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 277 का ख0नं0 100 रकबा 2.87 है0, ख0नं0 103 का रकबा 2.60 है0, खं नं. 109 का रकबा 1.83 है0, ख. न. 73/1145 का रकबा 0.33 है0, ख0नं0 81 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 83 का रकबा 0.08 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि प्रति0 क्रम 1 सूर्यप्रतापसिंह पुत्र अमरसिंह के खाते दर्ज है। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते केसे–विक्रय पत्र, दान, हकत्याग आदि– दर्ज हुई, के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा विवादित आराजी को उसके पिता अमरसिंह द्वारा खरीद किये जाने का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी के वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पारिवारिक विभाजन का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, केवल मौखिक कथन किया गया है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराना चाहता है लेकिन वाद पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि वादी को विवादित आराजी के 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार किस आधार पर सृजित हुऐ है। *वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे काश्त या बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर भी खातेदारी अधिकार का अनुतोष नहीं चाहा है।* वाद पत्र के मद क्रम 3 एवं राजीनामा दिनांक 19.10.2022 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी पारिवारिक सहमति से विवादित आराजी को वादी व प्रतिवादी के मध्य 1/2–1/2 हिस्से में विभाजन कराना चाहते है।

6. पारिवारिक सहमति/असहमति के आधार पर किसी कृषि आराजी का विभाजन का प्रावधान धारा 53 आर0टी0एक्ट0 में किया गया है जो निम्नानुसार है–

''**53(2)–A division of holding shall be effected in the following manner**- (i) by agriment between the co-tenants in respect of-

(a) Such division of the holding , and (b) the distribution of rent over the several portions in to which the holding is so divided, or

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided".

धारा 53 के अवलोकन से स्पष्ट है कि **कृषि आराजी का विभाजन केवल सहखातेदारों के मध्य** ही किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी का **एकमात्र खातेदार प्रतिवादी क्रम 1** है अर्थात विवादित आराजी सहखातेदारी में दर्ज नहीं है और जब कोई आराजी सहखातेदारी के रूप में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक राजीनामा के आधार पर खाता विभाजन नहीं किया जा सकता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 आपसी सहमति के आधार पर दान या बेचान के माध्यम से विवादित आराजी को सब रजिस्ट्रार अटरू के कार्यालय से..खाते दर्ज करा सकते है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 277 कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 है0 भूमि पर वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 277 कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद **खारिज** किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 187/2021 **दायर दिनांकः 12.11..2021**

उनवान

1. अनिकेशसिंह उम्र 14 वर्ष नाबालिग पुत्र अमरसिंह जर्ये वली पिता अमरसिंह जाति राजपूत निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. सूर्यप्रतापसिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा
मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल काचरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 277 कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 है0 के संबंध में पेश वादी का वाद **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.11.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)